इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2011—आश्विन 29, शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर 2011

क्र. ई-5-328-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आर. परशुराम, आयएएस., विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-कृषि उत्पादन आयुक्त तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, सहकारिता, पशुपालन मछलीपालन तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय विभाग को दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2011 तक छ: दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2011 एवं 1 जनवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर. परशुराम को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-कृषि उत्पादन आयुक्त तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, सहकारिता, पशुपालन मछलीपालन तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आर. परशुराम को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. परशुराम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर 2011

क्र. ई-5-821-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री एस. सुहेल अली, आयएएस., सचिव, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 सितम्बर 2011 द्वारा दिनांक 26 सितम्बर से 5 अक्टूबर 2011 तक दस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव (कार्मिक).

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

संशोधन

क्र. एफ-ए-5-18-2011-एक (1).—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 अगस्त 2011 द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री ए. के. श्रीवास्तव साहब, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को क्रमशः 02 एवं 05 दिन इस प्रकार कुल 07 दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश स्वीकृत किया गया था.

(2) राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय के उक्त स्वीकृत अवकाश को निरस्त कर उसके स्थान पर निम्नांकित विवरण अनुसार पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश स्वीकृत किया जाता है:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	23-6-2011 से 1-7-2011 तक.	9 दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित.	अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 एवं 3-7-2011 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2011

क्र. एफ. 16-25-2011-सात-2ए.—राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 17 की उपधारा (1) के अन्तर्गत श्री एन. के. त्रिवेदी, संयुक्त कलेक्टर, विदिशा को जिले में अतिरिक्त कलेक्टर की शक्तियां प्रदत्त करता है. श्री त्रिवेदी, संयुक्त कलेक्टर, विदिशा को उनकी विदिशा जिले में पदस्थ अवधि अथवा अपर कलेक्टर की पदस्थापना होने तक यह अधिसूचना प्रभावशील रहेगी.

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2011

क्र. एफ. 16-27-2011-सात-2ए.—राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 17 की उपधारा (1) के अन्तर्गत श्री एस. एन. शुक्ला, संयुक्त कलेक्टर, शहडोल को जिले में अतिरिक्त कलेक्टर, शहडोल की शक्तियां प्रदत्त करता है. श्री शुक्ला संयुक्त कलेक्टर को उनकी शहडोल जिले में पदस्थ अवधि अथवा अपर कलेक्टर की पदस्थापना होने तक यह अधिसूचना प्रभावशील रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण मिश्रा, अवर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2011

क्र. 14300-क्षेपअ-2011.—जबलपुर शहर में भारी वाहनों के कारण आए दिन गंभीर दुर्घटनाओं के कारण शहर में नागरिकों के सुचारू आवागमन तथा यातायात व्यवस्था में कठिनाई आने की जानकारी स्थानीय समाचार-पत्रों व विभिन्न माध्यमों से लगातार प्राप्त हो रही है. कई घटनाओं के दिन में समय भारी वाहनों के शहर में प्रवेश करने से नागरिकों की मृत्यु तक हुई है जिसके कारण कानून व्यवस्था की अप्रिय स्थिति निर्मित होती है.

अतः उक्त गंभीर मुद्दे पर जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है तथा नगर के सघन एवं व्यस्ततम मार्गों पर तथा यातायात के सुचारू संचालन हेतु जनहित में सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 तथा मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार प्रकार के भारवाही वाहनों का प्रवेश जबलपुर नगर निगम सीमा में प्रातः 6.00 बजे से लेकर रात्रि 9.00 बजे तक प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक हो गया है. अतः उक्त धाराओं के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार निम्नानुसार आदेश लागू किया जाता है:—

1. भारी माल वाहक जैसे ट्रक/डम्फर, मध्यम भार क्षमता के ट्रक, कृषि कार्यों से भिन्न प्रयोजन के प्रयोग में लाये जा रहे

ट्रेक्टर. नगर निगम सीमा में प्रवेश प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे.

2. निम्न मार्गों पर नो एंट्री से दोपहर 2.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक छूट रहेगी.

ए. बाईपास मार्ग तथा पाटन बाईपास चौराहा से चंडालभाटा ट्रांसपोर्ट नगर मार्ग.

बी. कछपुरा माल गोदाम से मेहता पेट्रोल पंप, एम.आर. 4, अहिंसा चौक, स्टेट बैंक चौक होते हुए दीन दयाल चौक तक.

3. आवश्यक सेवाओं में लगे निम्नलिखित वाहनों को उक्त प्रतिबंधित आदेश से पूर्णतः मुक्त रखा जाता है:—

1. दुग्ध वाहन
2. नगर निगम की स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन
3. पुलिस वाहन
4. फायर बिग्रेड
5. पानी टेंकर
6. आर्मी के वाहन
7. विद्युत् मंडल के कार्य में संलग्न वाहन.
8. एल.पी.जी./पेट्रोलियम पदार्थ वाहन.

यह आदेश दिनांक 1 अक्टूबर 2011 से प्रभावशील होगा.

इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त आदेश निरस्त समझे जावें.

उक्त आदेश में विशेष परिस्थितियों में विभागीय अधिकारी की अनुशंसा पर वाहन विशेष को निश्चित समय में छूट हेतु अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं नगर निगम की वाहनों हेतु अपर आयुक्त नगर निगम को अधिकृत किया जाता है.

गुलशन बामरा, जिला दण्डाधिकारी.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

''निर्वाचन भवन''

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

आदेश

क्र. एफ.-67-30-10-तीन-1702.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत, कोलारस जिला शिवपुरी** के आम निर्वाचन में **श्रीमती मधु भार्गव पत्नी कृष्णकुमार भार्गव** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी, 2010 तक **श्रीमती मधु भार्गव पत्नी कृष्णकुमार भार्गव** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला **शिवपुरी** के पास दाखिल करना था किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी **शिवपुरी** के पत्र दिनांक 23 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती मधु भार्गव पत्नी कृष्णकुमार भार्गव** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्रीमती मधु भार्गव पत्नी कृष्णकुमार भार्गव** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 28 मई, 2010 को जारी कर उप जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी के माध्यम से दिनांक 6 जुलाई, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्रीमती मधु भार्गव पत्नी कृष्णकुमार भार्गव** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

अभ्यर्थी **श्रीमती मधु भार्गव पत्नी कृष्णकुमार भार्गव** को नोटिस दिनांक 6 जुलाई, 2010 को तामील कराया गया. नोटिस तामीली उपरान्त अभ्यर्थी **श्रीमती मधु भार्गव पत्नी कृष्णकुमार भार्गव** द्वारा एक अभ्यावेदन आयोग को प्रस्तुत किया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 में

प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थी **श्रीमती मधु भार्गव पत्नी कृष्णकुमार भार्गव** द्वारा कारण बताओ नोटिस देने के उपरांत निर्वाचन व्यय का हिसाब निर्धारित सीमा के अन्दर प्रस्तुत किया है, लेकिन व्यय लेखा समय पर प्रस्तुत नहीं करने का कारण संतोषप्रद नहीं है.

आयोग द्वरा विचारोपरान्त दिनाकं 30 अगस्त, 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया था, किन्तु अभ्यर्थी **श्रीमती मधु भार्गव पत्नी कृष्णकुमार भार्गव** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली **श्रीमती मधु भार्गव पत्नी कृष्णकुमार भार्गव** को विहित समयावधि में दिनांक 11 अगस्त, 2011 कराई गई. अत: उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्रीमती मधु भार्गव पत्नी कृष्णकुमार भार्गव** द्वारा नियत संमयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती मधु भार्गव पत्नी कृष्णकुमार भार्गव** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत, **कोलारस** जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से पांच वर्ष (05 वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

आदेश

क्र. एफ.-67-30-10-तीन-1703.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत, कोलारस जिला शिवपुरी** के आम निर्वाचन में **श्रीमती मुन्नी शर्मा** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी, 2010 तक **श्रीमती मुन्नी शर्मा** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला **शिवपुरी** के पास दाखिल करना था किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी **शिवपुरी** के पत्र दिनांक 23 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती मुन्नी शर्मा** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्रीमती मुन्नी शर्मा** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 28 मई, 2010 को जारी कर उप जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी के माध्यम से दिनांक 6 जुलाई, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्रीमती मुन्नी शर्मा** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

अभ्यर्थी **श्रीमती मुन्नी शर्मा** को नोटिस दिनांक 6 जुलाई, 2010 को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक 21 जुलाई 2010 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 में अभ्यर्थी **श्रीमती मुन्नी शर्मा** द्वारा निर्धारित समयावधि में एवं कारण बताओ नोटिस देने के उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 तक व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के फलस्वरूप निरहर घोषित किया जाना प्रस्तावित किया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 30 अगस्त, 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया था, किन्तु अभ्यर्थी **श्रीमती मुन्नी शर्मा** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली **श्रीमती मुन्नी शर्मा** को विहित समयावधि में दिनांक 12 अगस्त, 2011 कराई गई. अत: उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्रीमती मुन्नी शर्मा** द्वारा नियम समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय

लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती मुन्नी शर्मा** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत, **कोलारस** जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से पांच वर्ष (05 वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

आदेश

क्र. एफ.-67-30-10-तीन-1704.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत, कोलारस जिला शिवपुरी** के आम निर्वाचन में **श्रीमती परवीन/नोसेद अहमद** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी, 2010 तक **श्रीमती परवीन/नोसेद अहमद** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला **शिवपुरी** के पास दाखिल करना था किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी **शिवपुरी** के पत्र दिनांक 23 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती परवीन/नोसेद अहमद** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्रीमती परवीन/नोसेद अहमद** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 28 मई, 2010 को जारी कर उप जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी के माध्यम से दिनांक 6 जुलाई, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्रीमती परवीन/नोसेद अहमद** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

अभ्यर्थी **श्रीमती परवीन/नोसेद अहमद** को नोटिस दिनांक 6 जुलाई, 2010 को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक 21 जुलाई 2010 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 में अभ्यर्थी **श्रीमती परवीन/नोसेद अहमद** द्वारा निर्धारित समयावधि में एवं कारण बताओ नोटिस देने के उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 तक व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के फलस्वरूप निरहर घोषित किया जाना प्रस्तावित किया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 30 अगस्त, 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया था, किन्तु अभ्यर्थी **श्रीमती परवीन/नोसेद अहमद** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली **श्रीमती परवीन/नोसेद अहमद** को विहित समयावधि में दिनांक 11 अगस्त, 2011 कराई गई. अत: उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्रीमती परवीन/नोसेद अहमद** द्वारा नियम समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती परवीन/नोसेद अहमद** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत, **कोलारस** जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से पांच वर्ष (05 वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

आदेश

क्र. एफ.-67-31-10-तीन-1668.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत, बदरवास जिला शिवपुरी** के आम निर्वाचन में **श्री रघुराज सिंह परिहार** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी, 2010 तक **श्री रघुराज सिंह परिहार** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला **शिवपुरी** के पास दाखिल करना था किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी **शिवपुरी** के दिनांक 23 अप्रैल 2010 के पत्र द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री रघुराज सिंह परिहार** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री रघुराज सिंह परिहार** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 28 मई, 2010 को जारी कर उप जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी के माध्यम से दिनांक 21 जुलाई, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्री रघुराज सिंह परिहार** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

अभ्यर्थी **श्री रघुराज सिंह परिहार** को नोटिस दिनांक 21 जुलाई, 2010 को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक 5 अगस्त 2010 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 में अभ्यर्थी **श्री रघुराज सिंह परिहार** द्वारा निर्धारित समयावधि में एवं कारण बताओ नोटिस देने के उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 तक व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के फलस्वरूप निरहर घोषित किया जाना प्रस्तावित किया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 30 अगस्त, 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया था, किन्तु अभ्यर्थी **श्री रघुराज सिंह परिहार** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली **श्री रघुराज सिंह परिहार** को विहित समयावधि में दिनांक 18 अगस्त, 2011 कराई गई. अत: उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्री रघुराज सिंह परिहार** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री रघुराज सिंह परिहार** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत, **बदरवास** जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

आदेश

क्र. एफ.-67-34-10-तीन-1706.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष

का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत, खनियाधाना जिला शिवपुरी** के आम निर्वाचन में **श्रीमती मुन्नीदेवी झां पत्नी श्री रामस्वरूप झां** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 18 जनवरी, 2010 तक **श्रीमती मुन्नीदेवी झां पत्नी श्री रामस्वरूप झां** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला **शिवपुरी** के पास दाखिल करना था किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी **शिवपुरी** के पत्र दिनांक 23 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती मुन्नीदेवी झां पत्नी श्री रामस्वरूप झां** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्रीमती मुन्नीदेवी झां पत्नी श्री रामस्वरूप झां** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 28 मई, 2010 को जारी कर उप जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी के माध्यम से दिनांक 8 जुलाई, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्रीमती मुन्नीदेवी झां पत्नी श्री रामस्वरूप झां** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

अभ्यर्थी **श्रीमती मुन्नीदेवी झां पत्नी श्री रामस्वरूप झां** को नोटिस दिनांक 8 जुलाई, 2010 को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक 23 जुलाई 2010 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. नोटिस तामीली उपरान्त अभ्यर्थी **श्रीमती मुन्नीदेवी झां पत्नी श्री रामस्वरूप झां** द्वारा एक अभ्यावेदन आयोग को प्रस्तुत किया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 में प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थी **श्रीमती मुन्नीदेवी झां पत्नी श्री रामस्वरूप झां** द्वारा कारण बताओ नोटिस देने के उपरान्त निर्वाचन व्यय का हिसाब निर्धारित सीमा के अन्दर प्रस्तुत किया है, लेकिन व्यय लेखा समय पर प्रस्तुत नहीं करने का कारण संतोषप्रद नहीं है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनाकं 2 सितम्बर 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया था, किन्तु अभ्यर्थी **श्रीमती मुन्नीदेवी झां पत्नी श्री रामस्वरूप झां** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. जबकि व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली संयुक्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी के माध्यम से **श्रीमती मुन्नीदेवी झां पत्नी श्री रामस्वरूप झां की** पुत्री सुश्री मनीषा झां को विहित समयावधि में दिनांक 16 अगस्त 2011 को कराई गई. अत: उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्रीमती मुन्नीदेवी झां पत्नी श्री रामस्वरूप झां** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती मुन्नीदेवी झां पत्नी श्री रामस्वरूप झां.** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत, **खनियाधाना** जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2011

आदेश

क्र. एफ.-67-30-10-तीन-1707.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत, खनियाधाना जिला शिवपुरी** के आम निर्वाचन में **श्रीमती फरीदा सप्पू (चच्चा)** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 18 जनवरी, 2010 तक **श्रीमती फरीदा सप्पू (चच्चा)** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला **शिवपुरी** के पास दाखिल करना था किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी **शिवपुरी** के पत्र दिनांक 23 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती फरीदा सप्पू (चच्चा)** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्रीमती फरीदा सप्पू (चच्चा)** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 28 मई, 2010 को जारी कर उप जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी के माध्यम से दिनांक 12 जुलाई, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्रीमती फरीदा सप्पू (चच्चा)** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

अभ्यर्थी **श्रीमती फरीदा सप्पू (चच्चा)** को नोटिस दिनांक 12 जुलाई, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 27 जुलाई 2010 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 में अभ्यर्थी **श्रीमती फरीदा सप्पू (चच्चा)** द्वारा निर्धारित समयावधि में एवं कारण बताओ नोटिस देने के उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक 30-6-2011 तक व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के फलस्वरूप निरहर घोषित किया जाना प्रस्तावित किया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 2 सितम्बर 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया था, किन्तु अभ्यर्थी **श्रीमती फरीदा सप्पू (चच्चा)** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. जबकि व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली संयुक्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी के माध्यम से **श्रीमती फरीदा सप्पू (चच्चा) के पति श्री शरीफउद्दीन** को विहित समयावधि में कराई गई. अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्रीमती फरीदा सप्पू (चच्चा)** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती फरीदा सप्पू (चच्चा)** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत, **खनियाधाना** जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2011

आदेश

क्र. एफ.-67-34-10-तीन-1708.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत, खनियाधाना जिला शिवपुरी** के आम निर्वाचन में **श्रीमती भागवती देवी झां/जमुना प्रसाद झां (पत्रकार)** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 18 जनवरी, 2010 तक **श्रीमती भागवती देवी झां/जमुना प्रसाद झां (पत्रकार)** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला **शिवपुरी** के पास दाखिल करना था किन्तु उप जिला निर्वाचन अधिकारी **शिवपुरी** के पत्र दिनांक 23 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती भागवती देवी झां/जमुना प्रसाद झां (पत्रकार)** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्रीमती भागवती देवी झां/जमुना प्रसाद झां (पत्रकार)** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 28 मई, 2010 को जारी कर उप जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी के माध्यम से दिनांक 8 जुलाई, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्रीमती भागवती देवी झां/जमुना प्रसाद झां (पत्रकार)** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

अभ्यर्थी **श्रीमती भागवती देवी झां/जमुना प्रसाद झां (पत्रकार)** को नोटिस दिनांक 8 जुलाई, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 23 जुलाई 2010 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 में अभ्यर्थी **श्रीमती भागवती देवी झां/जमुना प्रसाद झां (पत्रकार)** द्वारा निर्धारित समयावधि में एवं कारण बताओ नोटिस देने के उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 तक व्यय लेखा समय पर प्रस्तुत नहीं करने के फलस्वरूप निरहर घोषित किया जाना प्रस्तावित किया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 2 सितम्बर 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया था, किन्तु अभ्यर्थी **श्रीमती भागवती देवी झां/जमुना प्रसाद झां (पत्रकार)** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. जबकि व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली संयुक्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी के माध्यम से **श्रीमती भागवती देवी झां/जमुना प्रसाद झां (पत्रकार)** के पति को विहित समयावधि में दिनांक 16 अगस्त 2011 को कराई गई. अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्रीमती भागवती देवी झां/जमुना प्रसाद झां (पत्रकार)** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती भागवती देवी झां/जमुना प्रसाद झां (पत्रकार)** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत, **खनियाधाना** जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2011

आदेश

क्र. एफ.-67-261-10-तीन-1715.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत, कोठी जिला सतना** के आम निर्वाचन में **सुश्री सुनीता शारदा प्रसाद गुप्ता** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. **नगर पंचायत कोठी जिला सतना** के

निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी 2010 तक किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी, 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाजन अधिकारी सतना के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी **सतना** के पत्र क्र. 594-स्था. निर्वा./न.पा./09-10, दिनांक 26 फरवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री सुनीता शारदा प्रसाद** गुप्ता द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **सुश्री सुनीता शारदा प्रसाद गुप्ता** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 26 मार्च 2010 जारी किया गया. उक्त नोटिस कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी **सतना** के माध्यम से तामील करवाकर कलेक्टर सतना के पत्र दिनांक 20 अप्रैल 2010 के संलग्न आयोग को प्रेषित किया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री सुनीता शारदा प्रसाद गुप्ता को नोटिस दिनांक 20 अप्रैल, 2010 को तामील हो गया था. अत: उनको दिनांक 5 मई, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर सतना ने अपने पत्र दिनांक 18 मई 2010 में लेख किया कि अभ्यर्थी **सुश्री सुनीता शारदा प्रसाद गुप्ता** ने आज दिनांक तक निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया. कलेक्टर सतना से उक्त जानकारी प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 31 अगस्त 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 21 सितम्बर 2010 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर सतना द्वारा दिनांक 13 सितम्बर 2011 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अत: आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत: मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा-32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री सुनीता शारदा प्रसाद गुप्ता** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत कोठी जिला सतना** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2011

आदेश

क्र. एफ.-67-261-10-तीन-1716.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत कोठी, जिला सतना** के आम निर्वाचन में **सुश्री कंचन पत्नी सतीश** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. **नगर पंचायत कोठी** जिला **सतना** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी 2010 तक किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी

2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी, 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाजन अधिकारी सतना के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पत्र क्र. 594-स्था. निर्वा./न.पा./09-10, दिनांक 26 फरवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री कंचन पत्नी सतीश** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **सुश्री कंचन पत्नी सतीश** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 26 मार्च 2010 जारी किया गया. उक्त नोटिस कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के माध्यम से तामील करवाकर कलेक्टर सतना के पत्र दिनांक 20 अप्रैल 2010 के संलग्न आयोग को प्रेषित किया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि इन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री कंचन पत्नी सतीश को नोटिस दिनांक 20 अप्रैल, 2010 को तामील हो गया था. अत: उनको दिनांक 5 मई, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर सतना ने अपने पत्र दिनांक 18 मई 2010 में लेख किया कि अभ्यर्थी **सुश्री कंचन पत्नी सतीश** ने आज दिनांक तक निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया. कलेक्टर सतना से उक्त जानकारी प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 31 अगस्त 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 21 सितम्बर 2010 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर सतना द्वारा दिनांक 13 सितम्बर 2011 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अत: आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत: मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा-32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री कंचन पत्नी सतीश** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत कोठी जिला सतना** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2011

आदेश

क्र. एफ.-67-261-10-तीन-1717.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत, कोठी जिला सतना** के आम निर्वाचन में **सुश्री गीता अर्जुन सोनी** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. **नगर पंचायत कोठी जिला सतना** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी 2010 तक किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी, 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाजन अधिकारी सतना के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पत्र क्र. 594-स्था. निर्वा./न.पा./09-10, दिनांक 26 फरवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार

सुश्री गीता अर्जुन सोनी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **सुश्री गीता अर्जुन सोनी** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 26 मार्च 2010 को जारी किया गया. उक्त नोटिस कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के माध्यम से तामील करवाकर कलेक्टर सतना ने पत्र दिनांक 20 अप्रैल 2010 के संलग्न आयोग को प्रेषित किया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि इन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री गीता अर्जुन सोनी को नोटिस दिनांक 20 अप्रैल, 2010 को तामील हो गया था. अत: उनको दिनांक 5 मई, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर सतना ने अपने पत्र दिनांक 18 मई 2010 में लेख किया कि अभ्यर्थी **सुश्री गीता अर्जुन सोनी** ने आज दिनांक तक निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया. कलेक्टर सतना से उक्त जानकारी प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 31 अगस्त 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 21 सितम्बर 2010 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर सतना द्वारा दिनांक 13 सितम्बर 2011 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुईं.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अत: आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत: मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा-32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री गीता अर्जुन सोनी** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत कोठी जिला सतना** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2011

आदेश

क्र. एफ.-67-261-10-तीन-1718.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत, कोठी जिला सतना** के आम निर्वाचन में **सुश्री शकुन्तला उर्फ मुन्नी** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. **नगर पंचायत कोठी जिला सतना** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी 2010 तक किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी, 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पत्र क्र. 594-स्था. निर्वा./न.पा./09-10, दिनांक 26 फरवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री शकुन्तला उर्फ मुन्नी** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **सुश्री शकुन्तला उर्फ मुन्नी** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 26 मार्च 2010 जारी किया गया. उक्त नोटिस कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के माध्यम से तामील करवाकर कलेक्टर सतना ने पत्र दिनांक 20 अप्रैल 2010 के संलग्न आयोग को प्रेषित किया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त

होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री शकुन्तला उर्फ मुन्नी को नोटिस दिनांक 20 अप्रैल, 2010 को तामील कराया गया था. अत: दिनांक 5 मई, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर सतना ने अपने पत्र दिनांक 18 मई 2010 में लेख किया कि अभ्यर्थी **सुश्री शकुन्तला उर्फ मुन्नी** ने आज दिनांक तक निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया. कलेक्टर सतना से उक्त जानकारी प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 31 अगस्त 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 21 सितम्बर 2010 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर सतना द्वारा दिनांक 13 सितम्बर 2011 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुईं.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अत: आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत: मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा-32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री शकुन्तला उर्फ मुन्नी** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत कोठी जिला सतना** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2011

आदेश

क्र. एफ.-67-11-10-तीन-1740.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत, विजयपुर, जिला श्योपुर** के आम निर्वाचन में **श्री नरेश उर्फ सिटुआ शर्मा** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर पंचायत के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से दिनांक 18 जनवरी, 2010 तक **श्री नरेश उर्फ सिटुआ शर्मा** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी श्योपुर के पास दाखिल करना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्योपुर के पत्र दिनांक 27 जनवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री नरेश उर्फ सिटुआ शर्मा** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री नरेश उर्फ सिटुआ शर्मा** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 25 फरवरी 2010 को जारी कर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्योपुर के माध्यम से दिनांक 11 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्री नरेश उर्फ सिटुआ शर्मा** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि इन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्री नरेश उर्फ सिटुआ शर्मा** को नोटिस दिनांक 11 मार्च 2010 को तामील कराया गया था. अत: उनको दिनांक 26 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. अभ्यर्थी **श्री नरेश उर्फ**

सिटुआ शर्मा द्वारा नोटिस की तामीली पर अंकित किया है कि—''मेरे द्वारा **नगर पंचायत विजयपुर** को अपना हिसाब-किताब बिल . . . **नगर पंचायत** विजयपुर को प्रस्तुत कर दी गई है.'' नोटिस तामील होने के उपरान्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला श्योपुर से अभिमत प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रतिवेदित है कि नोटिस तामील होने के उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक 3 जून 2011 तक अभ्यर्थी **श्री नरेश उर्फ सिटुआ शर्मा** द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **श्री नरेश उर्फ सिटुआ शर्मा** को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 30 जुलाई 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी **श्री नरेश उर्फ सिटुआ शर्मा** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया लेकिन सूचना-पत्र की तामीली पर पुन: उनके द्वारा अंकित किया है कि—''मेरे द्वारा **नगर पंचायत विजयपुर** को अपना खर्चे का हिसाब दे चुका हूं. कृपया **नगर पंचायत विजयपुर** को पत्र जारी करें.'' व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र दिनांक 24 जून 2011 की तामीली **श्री नरेश उर्फ सिटुआ शर्मा को उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला श्योपुर** द्वारा तहसीलदार एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी **तहसील विजयपुर** के माध्यम से विहित समयावधि में दिनांक 23 जुलाई 2011 को कराई गई. अभ्यर्थी ने अपना व्यय लेखा **नगर पंचायत विजयपुर को** प्रस्तुत किया था, तो उन्हें अपना पक्ष/प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु आयोग में उपस्थित होना चाहिए था, लेकिन अभ्यर्थी अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु आयोग में उपस्थित नहीं हुए. अत: उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्री नरेश उर्फ सिटुआ शर्मा** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत: मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा-32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री नरेश उर्फ सिटुआ शर्मा** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत विजयपुर, जिला श्योपुर** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 5 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2011

आदेश

क्र. एफ.-67-11-10-तीन-1741.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अंदर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत, विजयपुर, जिला श्योपुर** के आम निर्वाचन में **श्री हरिदत्त उर्फ हरीओम गुरू** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर पंचायत के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से दिनांक 18 जनवरी, 2010 तक **श्री हरिदत्त उर्फ हरीओम गुरू** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी श्योपुर के पास दाखिल करना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्योपुर के पत्र दिनांक 27 जनवरी, 2010 द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री हरिदत्त उर्फ हरीओम गुरू** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री हरिदत्त उर्फ हरीओम गुरू** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 25 फरवरी 2010 को जारी कर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्योपुर के माध्यम से दिनांक 11 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्री हरिदत्त उर्फ हरीओम गुरू** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि इन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्री हरिदत्त उर्फ हरीओम गुरू** को नोटिस दिनांक 11 मार्च 2010 को तामील कराया गया था. अत: दिनांक 26 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. नोटिस तामील होने के उपरान्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला श्योपुर से अभिमत प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रतिवेदित है कि नोटिस तामील होने के उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक 3 जून 2011 तक अभ्यर्थी **श्री हरिदत्त उर्फ हरीओम गुरू** द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **श्री हरिदत्त उर्फ हरीओम गुरू** को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 30 जुलाई 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी **श्री हरिदत्त उर्फ हरीओम गुरू** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया लेकिन सूचना-पत्र की तामीली पर पुन: उनके द्वारा अंकित किया है कि—''आज दिनांक 30 जुलाई 2011 को, मैं **नगर पंचायत विजयपुर** में खर्चे का ब्यौरा पेश कर दूंगा जी.'' व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र दिनांक 24 जून 2011 की तामीली **श्री हरिदत्त उर्फ हरीओम गुरू** को **उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला श्योपुर** द्वारा तहसीलदार एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी **तहसील विजयपुर** के माध्यम से दिनांक 30 जुलाई 2011 को कराई गई. अभ्यर्थी ने सूचना-पत्र की तामीली पर अपना व्यय लेखा **नगर पंचायत विजयपुर को** दिनांक 30 जुलाई 2011 को प्रस्तुत करने का लेख किया है, लेकिन लगभग एक वर्ष छ: माह विलम्ब से व्यय लेखा प्रस्तुत करने के संबंध में कोई कारण/प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है. अत: उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्री हरिदत्त उर्फ हरीओम गुरू** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत: मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा-32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री हरिदत्त उर्फ हरीओम गुरू** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत विजयपुर, जिला श्योपुर** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 5 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2011

आदेश

क्र. एफ.-67-29-10-तीन-1744.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिका परिषद, शिवपुरी जिला शिवपुरी** के आम निर्वाचन में **श्रीमती जरीना बानो** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी, 2010 तक **श्रीमती जरीना बानो** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला **शिवपुरी** के पास दाखिल करना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी **शिवपुरी** के पत्र दिनांक 23 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती जरीना बानो** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्रीमती जरीना बानो** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 28 मई, 2010 को जारी कर उप जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी के माध्यम से दिनांक 26 जून 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्रीमती जरीना बानो** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

अभ्यर्थी **श्रीमती जरीना बानो** को नोटिस दिनांक 26 जून, 2010 को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक 11 जुलाई 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 में अभ्यर्थी **श्रीमती जरीना बानो** द्वारा निर्धारित समयावधि में एवं कारण बताओ नोटिस देने के उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 तक व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के फलस्वरूप निरहर घोषित किया जाना प्रस्तावित किया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 29 अगस्त, 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया था, किन्तु अभ्यर्थी **श्रीमती जरीना बानो** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली **श्रीमती जरीना बानो** के पति **श्री कमर अली** को विहित समयावधि में दिनांक 24 अगस्त, 2011 कराई गई. अत: उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्रीमती जरीना बानो** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती जरीना बानो** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पालिका परिषद **शिवपुरी** जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से पांच वर्ष (05 वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2011

आदेश

क्र. एफ.-67-29-10-तीन-1745.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिका परिषद, शिवपुरी जिला शिवपुरी** के आम निर्वाचन में **सुश्री लालीबाई किन्नर** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी, 2010 तक **सुश्री लालीबाई किन्नर** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला **शिवपुरी** के पास दाखिल करना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी **शिवपुरी** के पत्र दिनांक 23 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री लालीबाई किन्नर** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **सुश्री लालीबाई किन्नर** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 28 मई, 2010 को जारी कर उप जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी के माध्यम से दिनांक 26 जून 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में **सुश्री लालीबाई किन्नर** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

अभ्यर्थी **सुश्री लालीबाई किन्नर** को नोटिस दिनांक 26 जून, 2010 को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक 11 जुलाई, 2010 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 में अभ्यर्थी **सुश्री लालीबाई किन्नर** द्वारा निर्धारित समयावधि में एवं कारण बताओ नोटिस देने के उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 तक व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के फलस्वरूप निरहर घोषित किया जाना प्रस्तावित किया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनाकं 29 अगस्त, 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. किन्तु अभ्यर्थी **सुश्री लालीबाई किन्नर** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली **सुश्री लालीबाई किन्नर** को विहित समयावधि में दिनांक 24 अगस्त, 2011 कराई गई. अत: उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **सुश्री लालीबाई किन्नर** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री लालीबाई किन्नर** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पालिका परिषद **शिवपुरी** जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से पांच वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2011

आदेश

क्र. एफ.-67-29-10-तीन-1746.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिका परिषद, शिवपुरी जिला शिवपुरी** के आम निर्वाचन में **श्रीमती श्याम लाल खन्ना** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी, 2010 तक **श्रीमती श्याम लाल खन्ना** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला **शिवपुरी** के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी **शिवपुरी** के दिनांक 23 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती श्याम लाल खन्ना** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्रीमती श्याम लाल खन्ना** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 28 मई, 2010 को जारी कर उप जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी के माध्यम से दिनांक 26 जून 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्रीमती श्याम लाल खन्ना** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

अभ्यर्थी **श्रीमती श्याम लाल खन्ना** को नोटिस दिनांक 26 जून, 2010 को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक 11 जुलाई, 2010 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 में अभ्यर्थी **श्रीमती श्याम लाल खन्ना** द्वारा निर्धारित समयावधि में एवं कारण बताओ नोटिस देने के उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 तक व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के फलस्वरूप निरहर घोषित किया जाना प्रस्तावित किया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 29 अगस्त, 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया था, किन्तु अभ्यर्थी **श्रीमती श्याम लाल खन्ना** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली **श्रीमती श्याम लाल खन्ना** को विहित समयावधि में दिनांक 24 अगस्त, 2011 कराई गई. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्रीमती श्याम लाल खन्ना** द्वारा नियम समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्योयोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती श्याम लाल खन्ना** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पालिका परिषद **शिवपुरी** जिला शिवपुरी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से पांच वर्ष (05 वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2011

आदेश

क्र. एफ.-67-29-10-तीन-1747.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिका परिषद, शिवपुरी जिला शिवपुरी** के आम निर्वाचन में **श्रीमती सुमन तिवारी** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी, 2010 तक **श्रीमती सुमन तिवारी** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला **शिवपुरी** के पास दाखिल करना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी **शिवपुरी** के पत्र दिनांक 23 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती सुमन तिवारी** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्रीमती सुमन तिवारी** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 28 मई, 2010 को जारी कर उप जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी के माध्यम से दिनांक 26 जून 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्रीमती सुमन तिवारी** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

अभ्यर्थी **श्रीमती सुमन तिवारी** को नोटिस दिनांक 26 जून, 2010 को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक 11 जुलाई, 2010 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 में अभ्यर्थी **श्रीमती सुमन तिवारी** द्वारा निर्धारित समयावधि में एवं कारण बताओ नोटिस देने के उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून 2011 तक व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के फलस्वरूप निरहर घोषित किया जाना प्रस्तावित किया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनाकं 29 अगस्त, 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवपुरी द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 25 अगस्त 2011 में प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थी **श्रीमती सुमन तिवारी,** वर्तमान स्थान से कहीं बाहर अन्यत्र स्थान पर रहने के कारण तहसीलदार शिवपुरी द्वारा दोनों मूल प्रतियां वापिस कर दी गई हैं. अभ्यर्थी **श्रीमती सुमन तिवारी,** को व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली पर जमादार माल तहसील कार्यालय द्वारा टीप अंकित की है कि **श्रीमती सुमन तिवारी,** परिषद नामकी शिवपुरी में कोई नहीं रहती इस कारण से गवाही करने से इन्कार. तामीली पर तहसीलदार की एवं जमादार की सील हस्ताक्षर सहित अंकित की है. चूंकि व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के कारण, पहले ही अभ्यर्थी को कारण बताओं नोटिस दिनांक 28 मई, 2010 को जारी किया जा चुका है, जिसकी तामीली स्वयं अभ्यर्थी द्वारा ही की गई है तथा कलेक्टर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 30 जून, 2011 में भी अभ्यर्थी **श्रीमती सुमन तिवारी,** को निर्धारित समयावधि में एवं कारण बताओं नोटिस देने के उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक तक व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के फलस्वरूप निरहर घोषित किया जाने की अनुशंसा की है. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्रीमती सुमन तिवारी,** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती सुमन तिवारी,** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पालिका परिषद **शिवपुरी जिला शिवपुरी** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 5 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 12 सितम्बर 2011

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. . . .-10-पत्र क्र. 364-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	हरदुआ	0.104	कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि.प्रा. संभाग क्रमांक 07, सतना.	सतना नागौद शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 28 सितम्बर 2011

नस्ती क्रमांक 11-2011-एल.ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र. 25-अ-82-10-11.—**शुद्धिपत्र**—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन के निर्माण हेतु ग्राम सातमोहनी, तहसील पुनासा, जिला पुर्व निर्माण खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25-अ-82-10-11 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की अधिसूचना का प्रकाशन नवभारत समाचार-पत्र में दिनांक 27 मार्च, 2011 को हुआ है. उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे :—

प्रकाशन जिसमें हुआ	पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि	सही संशोधित प्रविष्टि
(1)	(2)	(2)
नवभारत में दिनांक 27-03-2011	0.13 हे.	1.13 हे.

उक्त प्रकाशन अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 1.13 हेक्टर रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 4 अक्टूबर 2011

क्र. 1616-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बघेलान	अतरहरा	2.42	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2, सतना.	डडिया माइनर जिसकी कुल लम्बाई 1250 मी. है जिसके निर्माण में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

क्र. 1621-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) सें (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	चौड़ियार	2.083	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के मुख्य नहर एवं गुढ़ शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1623-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा

(1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	बहेरा	0.094	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1625-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	पांती	1.272	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1627-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	अमिलिहा	0.99	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की अंतर्गत गुढ़ माइनर नहर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1629-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	सहिजना	6.186	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत सहिजना माईनर नहर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1631-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	मुडिया	2.310	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत गुढ़ माइनर नहर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 1633-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में

उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	गांजर	1.760	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत गुढ़ माइनर नहर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 1635-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	पेडेरूवा कोठार.	1.342	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत गुढ़ माइनर नहर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 1637-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा

(1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	नारायणपुर	0.960	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत गुढ़ माइनर नहर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

रीवा, दिनांक 13 अक्टूबर 2011

क्र. 1652-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	ग्राम उमरी	15	कार्यपालन यंत्री,क्योटी नहर संभाग, रीवा (म.प्र.).	क्योटी नहर प्रणाली की दुलेहरा माइनर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1654-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	राजगढ़	10.07	कार्यपालन यंत्री,क्योटी नहर संभाग, रीवा (म.प्र.).	क्योटी नहर प्रणाली की दुलेहरा माइनर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1656-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	कररिया	2.8	कार्यपालन यंत्री,क्योटी नहर संभाग, रीवा (म.प्र.).	क्योटी नहर प्रणाली की दुलेहरा माइनर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 5 अक्टूबर 2011

प्र.क्र. 01-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	कटनी	चाका प.ह.नं. 40 नं. बं. 234	0.154	कार्यपालन यंत्री, दायीं तट नहर संभाग क्र. 1, कटनी.	बरगी दायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 5 अक्टूबर 2011

क्र. 611-भू.अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है. उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 (1)(4) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में.)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इन्दौर	इन्दौर	बरोदाकरा	0.170	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, इंदौर.	इन्दौर-कनाडिया-सेमलिया चाऊ के कि.मी. 15/2 पर आशामति सेतु के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, जिला इंदौर के भू-अर्जन कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राघवेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. . . .-10-पत्र क्र. 871-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	रनेही	1.528	अनुविभागीय अधिकारी, ''राजस्व'' अनुविभाग रघुराजनगर, जिला सतना.	बी.ओ.टी. योजनांतर्गत 2 लेन मार्ग के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

क्र. 347-वाचक-प्र. क्र. 1-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	धरमपुरी	सरजापुर	2.121	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 20, मण्डलेश्वर.	औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार, भू-अर्जन अधिकारी, स. स. प./औंकारेश्वर नहर परियोजना धरमपुरी, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

धार, दिनांक 13 अक्टूबर 2011

क्र. 356-वाचक-प्र. क्र. 1-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	धरमपुरी	तारापुर	15.800	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 20, मण्डलेश्वर.	औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार, भू-अर्जन अधिकारी, स. स. प./औंकारेश्वर नहर परियोजना धरमपुरी, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 2107-वाचक-प्र. क्र. 2-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	रामाधामा	10.740	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 20, मण्डलेश्वर.	औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

धार, दिनांक 14 अक्टूबर 2011

क्र. 2116-वाचक-प्र. क्र. 1-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	उटावद	13.685	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 20, मण्डलेश्वर.	औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना मनावर जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 2 अगस्त 2011

क्र.क-6401-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र.-12-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयेजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—बण्डा

(ग) ग्राम—कैथोरा

(घ) क्षेत्रफल लगभग —4.80 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
371, 373/2	0.06
372	0.11
373/1	0.41
374	0.10
386/1	0.40
387	0.12
388	0.01
520	0.10
521	0.56
522	0.12
525	0.13
526/1	0.18
544	0.12
546	0.22
547/1	0.65
547/2	0.05
549	0.53
550	0.25
551	0.35
553	0.02
(1)	(2)
555	0.07
556	0.07
557	0.17
कुल योग . .	4.80

(2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है:—बीला फीडर नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान):—अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र.-2 सागर जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 27 सितम्बर 2011

क्र. 9978-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—कुक्षी

(ग) ग्राम—चीजवॉ

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.323 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
167/2	0.210
233/1	0.113
234/12	0.178
167/3	0.229

(1)	(2)
228/3	0.110
229/1	0.184
229/2	0.184
229/3	0.145
228/2	0.217
265/1	0.227
265/2	0.065
263	0.306
261	0.062
257/7	0.105
260/1	0.230
256	0.483
384	0.275
योग :	3.323

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—थाना तालाब नहर निर्माण से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कुक्षी एवं सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, धार जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

धार, दिनांक 5 अक्टूबर 2011

क्र. 2088-वाचक-प्र. क्र.-15-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—मनावर

(ग) ग्राम—कल्याणपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.170 हेक्टर.

सर्वे नम्बर निजी	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
113/1/1/3 क	0.170
योग :	0.170

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 16530 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 11 की आर.डी. 1470 से निकलने वाली 2 आर माइनर आर.डी. 780 मी. से 4950 मी. के बीच नहर निर्माण हेतु.

(3) भू-अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान)कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2094-प्र. क्र.-17-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—मनावर

(ग) ग्राम—इसकपुरखेड़ी

(घ) क्षेत्रफल—0.521 हैक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
(1)	(2)
88/2	0.264
88/4	0.165
82	0.092
योग :	0.521

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर/वितरण शाखा/लघु/उप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान)कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी मनावर एवं कार्यपालन यंत्री ओ.एस.पी. नहर संभाग धामनोद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 2082-वाचक-प्र. क्र.-18-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—मनावर

(ग) ग्राम—खेडीहवेली (पूरक)

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.920 हेक्टर

सर्वे नम्बर निजी	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
196/3	0.030
198/1/1	0.136
198/1/2	0.116
198/2	0.010
201/1	0.088
200/1	0.315
201/3	0.050
78/1	0.075
78/2	0.070
141/2	0.030
योग :	0.920

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 133605 मी. से 133285 मी. की डायरेक्ट माईनर क्र. 68 के सब माईनर के निर्माण के बीच नहर निर्माण हेतु.

(3) भू-अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान)कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2011

पृ. क्र-05-अ-82-वर्ष-2010-11-पत्र क्र.-66-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर

(ख) तहसील—गाडरवारा

(ग) ग्राम—चारगांवकला

(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.367 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
187/1	0.101
187/2	0.056
188	0.101
189, 191/1	0.109
योग . .	0.367

(2) सार्वजनिक प्रयोग जिसके लिये आवश्यकता है:—सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान):—का निरीक्षण भू-अर्जन कार्यालय गाडरवारा में किया जा सकता है.

पृ.क्र-06-अ-82-वर्ष-2010-11-पत्र क्र.-66-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर

(ख) तहसील—गाडरवारा

(ग) ग्राम—सीरेगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.665 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
385/1-2-3	0.089
384/1-2	0.121
378/2	0.133
377/1, 378/1, 377/3, 378/4	0.161
377/2, 378/3, 377/4, 378/5	0.153
376/3-4	0.141
376/2	0.089
315/2	0.089
315/1	0.305
303/3	0.085
303/2	0.105
303/1	0.194
योग .	.1.665

(2) सार्वजनिक प्रयोग जिसके लिये आवश्यकता है:—सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान):—का निरीक्षण भू-अर्जन कार्यालय गाडरवारा में किया जा सकता है.

पृ.क-07-अ-82-वर्ष-2010-11-पत्र क्र.-66-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर

(ख) तहसील—गाडरवारा

(ग) ग्राम—उल्थन

(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.986 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
15/2	0.101
15/1	0.202
16/2, 17/2	0.222
10/1छ	0.238
10/1च	0.081
11	0.142
योग .	.0.986

(2) सार्वजनिक प्रयोग जिसके लिये आवश्यकता है:—सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान):—का निरीक्षण भू-अर्जन कार्यालय गाडरवारा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजीवसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 1 अक्टूबर 2011

प्र. क्र. 04 अ-82-वर्ष-2010-11-भू-अर्जन-7289.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल

(ख) तहसील—बैतूल

(ग) नगर/ग्राम—बड़गीखुर्द

(घ) पटवारी हल्का नम्बर—30

(ङ) लगभग क्षेत्रफल—0.846 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
27	0.108
29/2	0.216
29/3	0.153
28/3	0.045
34	0.066
36/1	0.078
36/2	0.180
योग :	0.846

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—झारकुंड जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र.-2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

बैतूल, दिनांक 5 अक्टूबर 2011

प्र. क्र. 11 अ-82-वर्ष-2010-11-भू-अर्जन-9433.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई
(ग) नगर/ग्राम—रिधोरा
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—60
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—1.266 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
303/2क	0.048
303/2ख	0.008
295/1	0.024
303/4	0.053
310	0.020
300/2	0.020
301/1	0.008
301/3	0.009
303/5	0.121
303/7	0.024
295/2	0.044
300/1	0.016
301/2	0.130
293/2	0.060
292/1	0.032
292/2	0.032
283/7	0.093
281/2	0.036
283/2	0.080
312	0.008
293/1	0.060
281/1	0.034
283/3	0.080
291/2	0.032
294/1	0.032
281/4	0.016
281/5	0.008
283/4	0.012
281/3	0.034
283/1	0.012
283/5	0.080
योग :	1.266

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सेन्द्रया लघु जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 13 अ-82-वर्ष-2010-11-भू-अर्जन-9431.-**संशोधन.**—इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 13 अ-82-वर्ष 2010-11-भू-अर्जन-5697 बैतूल, दिनांक 27 जुलाई 2011 जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 12 अगस्त 2011 को भाग-1 पृष्ठ क्रमांक 2878 पर एवं दैनिक समाचार पेपर "नव दुनिया भोपाल" में दिनांक 13-8-2011 को तथा "ताप्ती समन्वय मुलताई" में दिनांक 12-8-2011 को हो चुका है, की अनुसूची के कालम क्रमांक (3) में नगर/ग्राम-चिखलीकलॉ के स्थान पर चिखली बुजुर्ग पढ़ा जावे.

प्र. क्र. 14 अ-82-वर्ष-2010-11-भू-अर्जन-9432.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त

प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई
(ग) नगर/ग्राम—लाखापुर
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—59
(ड) लगभग क्षेत्रफल—3.154 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
369	0.291
370	1.352
367	0.129
384	0.030
366/1	0.097
365	0.028
374	0.100
366/2	0.097
373	0.240
371/2	0.020
376	0.150
363	0.500
371/1	0.120
योग :	3.154

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सेन्द्रया लघु जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

बैतूल, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

प्र. क्र. 9 अ-82-वर्ष-2010-11-भू-अर्जन-7479.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई
(ग) नगर/ग्राम—कपास्या
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—59
(ड) लगभग क्षेत्रफल—7.137 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1	6.855
19	0.177
18	0.050
17/7	0.010
17/8	0.010
17/6	0.015
5	0.020
योग :	7.137

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सेन्द्रया लघु जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 4 अक्टूबर 2011

क्र. 1505 भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह

घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—भीकनगांव
(ग) ग्राम—चिरागपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.209 हेक्टर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1/3	0.202
6/1/1	0.405
6/1/2	0.607
6/1/3	0.769
6/1/4	0.607
6/1/5	1.266
6/1/6	0.405
6/1/7	0.445
6/2	0.052
6/3	2.063
6/4	1.619
6/5	0.769
योग :	9.209

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मालखेड़ा तालाब योजना के शीर्ष कार्य एवं डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव व कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1506 भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—भीकनगांव
(ग) ग्राम—एकतासा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.900 हेक्टर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
340/2	0.180
340/3	0.080
342/2	0.055
343/1	0.008
343/3	0.032
345/1	0.115
427	0.035
428	0.080
429	0.155
430/1/1	0.040
430/1/2	0.090
430/2	0.150
430/3/1	0.053
430/3/2	0.053
430/3/3	0.052
430/3/4	0.052
430/5	0.052
430/6	0.208
438	0.160
439	0.240
442/1	0.050
459/1	0.086
459/2	0.050
461	0.120
462	0.890
464/2	0.325
468/2	0.388
470	2.101
योग :	5.900

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मालखेड़ा तालाब योजना के शीर्ष कार्य डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव व कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 7 अक्टूबर 2011

ईश्यू क्रमांक-01.—प्र. क्र. 1 ए-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मंदसौर

(ख) तहसील—सीतामऊ

(ग) ग्राम—नाटाराम+कोडिया (शिवगढ़)+खोती+मुहाल नाटाराम+कम्माखेडी.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.570+1.860+1.320+9.660+83.22

सर्वे नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
ग्राम-नाटाराम	
463	0.330
458/2	1.536
459	0.178
460	0.209
458/1	0.200
450	1.254
453, 454	0.863
कुल योग :	4.570
ग्राम-कोडिया (शिवगढ़)	
2	0.790
14	1.070
कुल योग :	1.860
ग्राम-खोती	
122	0.180
146	0.200
131	0.150
138	0.030
148/1	0.050
123	0.050
125	0.060
137	0.040
149	0.050
130	0.150
145	0.180
139	0.080
124	0.050
126	0.050
कुल योग :	1.320
ग्राम-मुहाल नाटाराम	
201	0.170
200	0.240
199/1	0.090
199/2	0.090
189	0.890
191	0.620
192	1.030
194	1.050
197	0.280
181	0.410
177/1-MIN	0.850
179	0.270
182	1.210
188	0.120
190	1.060
177/2-MIN	0.200
180	1.080
कुल योग :	9.660
ग्राम-कम्माखेडी	
150	0.170
153/1	0.260
243	0.250
153/2	0.260
153/3	0.250
154/1	0.200
154/2	0.200
154/3	0.200
276/1	0.260
308/2	0.400
216	0.330
221	0.560
155	0.950
156	0.200
157	0.400
272	0.260

(1)	(2)	(1)	(2)
273	0.310	236/2	0.600
161/1-MIN	0.200	239/2	0.300
158	0.600	241	0.300
160/MIN-2	0.400	242	0.200
322/1	0.600	353	0.160
322/2	0.600	239/5	0.420
161/MIN-2	0.400	245	0.250
162	1.430	276/2	0.260
239/4	0.430	443/356	0.070
164/MIN-1	0.130	309/2	0.560
164/2	0.130	257	0.260
165	0.840	340	0.820
167	0.260	342	0.450
166	0.840	308/3	0.420
168	0.260	309/4	0.300
171	0.100	310/1	0.240
175	0.120	310/2/2	0.500
172	0.320	318	0.280
174	0.210	246/1	0.150
173	0.370	347/1	0.270
208/2	1.000	345/1	0.350
209/1	0.050	352/1	0.170
208/1	0.220	248	0.480
256	0.640	254	0.310
252/2	0.070	258	1.550
253	0.440	259	0.510
209/2MIN-1	0.010	260	0.530
220	0.560	261	0.170
244	0.240	270	0.250
209/2MIN-2	0.400	265	0.410
223/2	0.400	267	0.160
223/1MIN-2	0.600	271	0.250
223/1MIN-1	0.200	262	0.160
228/1	0.020	263	0.240
224	0.410	264	0.240
226	0.600	268	0.250
227	0.500	308/1	0.400
251	0.210	269	0.250
252/1	0.220	274	0.890
228/2	0.600	275	0.230
228/3	0.200	280/2	0.050
228/4	0.800	281	0.150
236/1	0.940	282	0.100
250	0.580	284	0.400
229	0.680	285	0.200
327	1.340	288/MIN-1	0.200
328	0.220	288/MIN-2	0.200
332	2.140	291	0.400

(1)	(2)
303/1	1.000
305	0.140
313	0.590
317/1	1.250
320	0.120
306	0.260
307	0.600
312	0.700
319/1	0.200
309/1	2.150
309/3	0.300
310/2/1	0.260
311	1.690
315/1	0.340
441/307	0.130
315/2	0.200
317/2	0.200
316	0.400
319/2	0.060
329	0.520
330	0.420
333	2.150
335	1.400
336	2.280
334	0.210
338/3	0.420
337	1.560
338/1	0.640
338/2	0.630
339	1.030
437	0.380
343	0.540
344	0.520
345/2	0.360
346	0.240
347/2	0.020
350	0.860
434/1	0.090
210/4	0.040
434/2	0.100
210/3	0.040
345/3	0.010
434/4	0.100
160/MIN-1	0.530
163	0.400
434/3	0.090
210/1	0.040
210/2	0.040
239/3	0.300
231	0.230
436	0.180
232	0.260
354	0.080
283	0.110
321	0.120
341	0.780
349	0.990
247	0.970
233/1	0.130
431	0.430
161/MIN-3	0.400
233/2	0.130
235/1	0.150
235/2	0.400
169/2MIN-2	0.200
225/MIN-1	0.200
169/3MIN	0.210
225/MIN-2	0.190
169/1MIN	0.390
352/2	0.020
246/2	0.220
230	0.230
234	0.560
348	0.760
159	0.940
432	0.390
433	0.230
152	2.170
239/1	0.300
कुल योग :	83.220

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कोटेश्वर तालाब डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीतामऊ, जिला मंदसौर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

क्र. 375-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में

वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—मैहर

(ग) नगर/ग्राम—बेरमा

(घ) क्षेत्रफल—0.244 हेक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
2198	0.244
निजी खाता भूमि योग रकबा :	0.244

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 376-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—मैहर

(ग) नगर/ग्राम—जीतनगर

(घ) क्षेत्रफल—0.145 हेक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
339/1क	0.145
निजी खाता भूमि योग रकबा :	0.145

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 377-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—मैहर

(ग) नगर/ग्राम—गहवरा

(घ) क्षेत्रफल—0.008 हेक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
105	0.008
निजी खाता भूमि योग रकबा :	0.008

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 378-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—मैहर

(ग) नगर/ग्राम—मानपुर

(घ) क्षेत्रफल—0.379 हेक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
358/1/2	0.379
निजी खाता भूमि योग रकबा :	0.379

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 30 सितम्बर 2011

प्र. क्र. 75-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—गुनौर

(ग) ग्राम—पडेरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)— 38.69 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1230	0.34
1233	0.39
1232	0.11
1242	0.08
1241	0.08
1243/1	0.22
1243/2	0.10
1240	0.33
1239/1	0.18
1239/2	0.18
1245/1	1.00
1245/2	0.70
1253	0.41
1254	0.30
1251	0.12
1247/1	0.51
1248/1	0.20
1248/2	0.20
1210	0.06
1229/1	14.72
1209	0.23
1221	0.29
1202	0.80
1224	0.03
1231/1	0.08
1231/2	0.08
1244/1	0.33
1244/2	0.32
1244/3	0.33
1244/3	0.33
1246/1	1.00
1246/2	0.30
1246/3	0.60
1250/1	0.33
1250/2	0.26
1365/1	0.04
1364	0.04
1366	0.06
1360	0.04
1361	0.35
1214/1	2.02
1214/2	8.34
1359	0.09
1358/1	0.15
1171	0.40
1212	0.13
1362	0.41
1211	0.05
1369	1.03
योग . .	38.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—सिली तालाब परियोजना के अन्तर्गत बॉध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 124-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अमानगंज

(ग) ग्राम—पिपरियाखुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)— 0.479 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
113	0.006
114	0.124
116	0.003
161/1	0.041
161/2	0.041
162/1	0.040
162/2	0.040
183	0.064
184	0.080
185	0.040
योग . .	0.479

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत बॉध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 128-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अमानगंज

(ग) ग्राम—पिपरवाह

(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)— 54.385 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
532/1	0.020
532/2	0.030
532/3	0.030
534	0.391
539	0.025
540	0.330
544	0.011
553	0.121
554	0.238
555	0.011
556/1	0.197
556/2	0.197
632	0.180
633	0.696
638	0.154
640	0.078
644	0.038
645	0.687
706	0.015
707	0.105
711	0.370
712	0.302
713	0.027
714	0.441
715	0.360
716	0.206
718	0.392
719	0.280
726	0.030
727	0.220
729	2.457
730	0.070
731	0.020
732	0.280
736/1	0.113
736/2	0.113
737/1	0.174
737/2	0.174
738	0.470

(1)	(2)
739	0.357
740/1	1.100
740/2	0.320
741	1.120
743/1	0.757
743/2	0.757
744/1	0.240
744/2	0.010
745	1.310
747	0.080
748	0.060
749	0.100
750	1.360
751	3.120
754/1	1.500
754/2	1.500
754/3	0.400
755	0.370
756	0.150
757	0.240
758/1	1.000
758/2	0.350
759	0.890
760	0.130
764/1	0.190
764/2	0.390
765	0.120
766	0.520
767/1	0.330
767/2	0.660
768/1	1.000
768/2	1.200
768/3	1.650
770	1.250
771	0.770
772	1.450
774	1.080
775	0.800
776	0.060
777/1	0.200
777/2	0.100
777/3	0.490
777/4	0.490
778	0.610
779	0.477
780	0.565
781	0.431
782	0.058
783	0.170
784	0.540
785	0.660
786	1.115
787/1	0.070
787/2	0.080
788	0.110
789	0.130
790	0.245
845/1	0.202
845/2	0.202
845/3	0.202
847/1	0.430
847/2	0.430
849/1	2.000
849/2	0.430
850/1	2.000
850/2	0.240
852	1.193
853/1क	0.241
853/1ख	0.100
853/1ग	0.020
855	0.940
858	0.340
1634	0.130
योग . .	54.385

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत बॉध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 128-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक

एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अमानगंज

(ग) ग्राम—गडोखर

(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)— 8.615 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2	0.064
3	0.004
4	0.005
11	0.300
12	0.004
362	0.099
363	0.030
367	0.062
368	0.168
370	0.004
371	0.524
372	0.967
376	0.025
426/1, 426/2, 426/3	0.182
427	0.006
428	0.071
429	0.171
431/2	0.051
450	0.124
451	0.014
453	0.178
458	0.311
493	0.222
495	0.181
501	0.119
502	0.063
503	0.111
504	0.151
517	0.003
518	0.185
559/1	0.017
560	0.108
561	0.145
583/1, 583/2, 583/3, 583/4	0.188
584/1, 584/2	0.133
609	0.179
610	0.036
616	0.010
617	0.117
619	0.005
624/1	0.329
724	0.431
777	0.285
778/1, 178/2, 778/3	0.444
779/1	0.005
780/1, 780/2	0.018
805	0.004
806	0.262
807	0.044
808	0.094
809	0.213
820/1, 820/2	0.154
822	0.026
823	0.251
826	0.208
882	0.150
884	0.002
887	0.358
योग . .	8.615

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत बाँध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 133-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—गुनौर

(ग) ग्राम—बंधूर

(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—3.794 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
223	0.011
224	0.194
222	0.009
208	0.103
209	0.068
210	0.078
211	0.077
212	0.059
213	0.009
192	0.211
191	0.010
190/1	0.023
190/2	0.023
186	0.054
189	0.060
188	0.007
119	0.205
118	0.069
116	0.093
120	0.002
68	0.009
121	0.009
70	0.177
67	0.009
63	0.142
64	0.006
56	0.045
57/1	0.022
57/2	0.011
57/3	0.096
58	0.009
41	0.194
42	0.009
43	0.074
39	0.048
37	0.023
38	0.009
22	0.176
21	0.012
224	0.108
225	0.006
226/1क	0.056
226/2ख	0.056
226/2	0.058
231	0.006
232/1	0.123
232/2	0.040
233/1	0.003
233/2	0.004
244/1क	0.020
244/1ख	0.071
244/2	0.045
243/1	0.002
243/2	0.002
237	0.103
238	0.038
239	0.005
480/2	0.033
480/1क	0.033
480/1ख	0.033
480/1ग	0.018
480/1घ	0.018
483	0.070
507	0.042
513	0.041
514	0.200
517	0.066
482	0.007
507	0.042
योग . .	3.794

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—भितरी मुटमुरू जलाशय योजना के अन्तर्गत बॉध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 134-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—गुनौर
(ग) ग्राम—ब्यौहारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—0.650 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
121	0.332
13	0.025
10/1	0.036
10/2	0.036
10/3	0.036
10/4	0.036
10/5	0.038
10/6	0.035
10/7	0.036
10/8	0.040
योग . .	0.650

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—भितरी मुटमुरू जलाशय योजना के अन्तर्गत बॉध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 135-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—गुनौर
(ग) ग्राम—इटवां
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—2.904 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
335	0.132
336	0.011
323/1	0.223
323/2	0.223
296/1	0.005
296/2	0.005
297	0.176
291	0.013
290	0.082
298	0.024
299/1	0.028
299/2	0.028
240/1	0.294
240/2	0.294
171/1	0.006
171/2	0.007
172	0.154
175	0.146
176	0.012
177	0.311
178	0.013
13/1	0.027
13/2	0.027
13/3	0.027
13/4	0.027
13/5	0.027
335	0.162

(1)	(2)
336	0.007
338/1	0.047
338/2	0.047
339/1	0.022
339/2	0.022
340/1	0.008
340/2	0.030
342/1	0.007
341	0.010
69/1	0.022
69/2	0.022
366	0.062
363	0.052
361	0.035
360	0.022
359	0.005
योग . .	2.904

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—भितरी मुटमुरू जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 138-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—गुनौर
(ग) ग्राम—लमकुश
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—1.334 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
42	0.118
51	0.001
53	0.003
49	0.002
57/1	0.041
57/2	0.042
58/1	0.025
58/2	0.026
59/1	0.005
59/2	0.005
97	0.156
81	0.225
82	0.019
84	0.055
132	0.122
138/2	0.267
130	0.076
123	0.025
125	0.081
127	0.040
योग . .	1.334

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—भितरी मुटमुरू जलाशय योजना के अन्तर्गत बॉध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 148-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अमानगंज
(ग) ग्राम—बॉधी कलां
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—66.139 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
27	0.006
30	0.844
32	2.450

(1)	(2)	(1)	(2)
34	0.482	95	0.110
35	0.027	96	0.160
37/1		97	0.070
37/2		98	0.080
37/3	0.550	99	0.018
37/4		100	0.016
37/5		101	1.740
40/1		111	1.660
40/2	0.008	112	0.570
40/3		113	0.261
41	0.113	119	0.058
42	0.636	120	0.069
43/1	0.078	121	0.592
43/2	0.190	122	0.060
45	0.362	123	1.100
46	0.610	125	0.300
47/1	0.200	126	0.250
47/2	0.212	128	1.250
49	0.026	129	0.210
50	0.247	132	0.610
51	0.037	133	0.277
52	0.084	134	0.431
71	0.012	135	1.032
72	0.242	136	1.439
73	1.080	137	0.520
74	1.430	138	0.700
75/1	0.710	139	0.540
76	0.460	140	0.850
77	0.150	141	0.970
78	0.260	142	0.580
79	0.510	143	0.510
80	0.710	144	0.810
82	0.150	147	0.060
83	1.870	148	0.110
84	0.170	149	0.090
85	0.610	150	0.400
86	1.200	151	0.350
87	0.030	153	1.740
88	1.000	154	0.840
90	0.760	156	0.590
91	0.350	157	0.460
92	1.320	158	0.230
93	0.930	159	0.550
94	0.730	160	0.590

(1)	(2)
161	0.650
162	0.180
164	1.000
166	1.450
168	0.360
169	0.060
170	0.560
171	0.300
172	1.020
173/1	0.180
173/2	0.340
174	1.170
175	0.070
176	1.180
179	0.040
180	0.570
181	0.250
182	0.050
183	0.260
184	0.160
185/1	0.440
185/2	0.440
186	0.400
187/1	0.630
187/2	0.230
188	0.950
189	1.480
190	0.130
191	0.490
192	1.220
193	0.110
194	0.090
195	0.040
196	0.050
197	0.070
198/1	0.060
198/2	0.130
199	0.020
200	0.600
202	0.470
204	1.240
205	0.280
206	0.300
योग . .	66.139

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—डोभा जलाशय सिंचाई योजना के अन्तर्गत बॉध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 156-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अजयगढ़

(ग) ग्राम—रायपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—29.01 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
48/1	0.10
48/2	0.10
48/3	0.10
48/4	0.10
60	2.64
69	0.69
64	0.30
65	0.65
72	1.26
86/1	0.74
80	0.40
82	0.90
83	0.20
88	0.20
87	0.20
93	0.10
89	0.10
139/1	0.07
91/1	0.28
91/2	0.24
91/166/3	0.20
92/165/3	0.10

(1)	(2)
91/3	0.10
91/166/2	0.05
92/2/168/2	0.04
91/166/1	0.07
92/168	0.04
50	0.20
97	0.11
98	0.07
71	1.30
107	1.93
58	0.80
110	2.33
118	0.08
120	0.70
105	0.20
102	0.17
104	0.35
109	1.64
111	0.92
115/2	0.20
115/1	0.32
156	0.09
154	0.20
141	0.20
139/2	0.20
114	1.00
160	0.10
155	0.10
62	0.10
84	0.89
119	0.04
95	0.05
96	1.44
94	0.78
56	0.20
122	0.16
86/2	2.17
योग . .	29.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—रायपुर तालाब परियोजना के अन्तर्गत बॉध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 157-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अजयगढ़

(ग) ग्राम—बनहरी कलां

(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)— 47.51 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1289	0.24
1363	0.27
1360	0.27
1358	0.40
1326	0.40
1288	0.19
1328	0.20
1287	0.34
1359	0.33
1286	0.59
1329	0.05
1308	0.41
1361	0.12
1309	0.27
1330	0.19
1291	0.05
1331	0.14
1292	0.29
1362	0.11
1324	0.43
1397	0.45
1290	0.26
1327	0.61
1299	0.18
1307	0.07
1294	0.03
1297	0.03
1303	0.04

(1)	(2)	(1)	(2)
1305	0.01	1391/1	1.40
1306	0.06	1408/1	0.05
1588	0.50	1391/2	0.18
1391/2	0.18	1392	0.02
1293	0.10	1398	0.04
1298	0.10	1400	0.11
1300	0.02	1399	0.16
1302	0.10	1401	0.07
1304	0.03	1403	0.34
1323	0.78	1404	0.32
1321	0.05	1405	0.35
1322	0.04	1406	0.15
1285/1	0.39	1407	0.31
1285/2	0.70	1408/2	0.28
1263/1463	0.08	1409/2	0.26
1282/3	0.77	1411	0.09
1348	0.44	1412	0.11
1347	0.26	1413	0.15
1335	0.09	1414	0.31
1336	0.01	1415	0.11
1337	0.49	1416	0.21
1338	0.32	1417/2	0.03
1339	0.10	1418	0.17
1340	0.10	1419	0.03
1342	0.06	1435	0.10
1351	0.28	1439	0.14
1341	0.50	1420	0.16
1353	0.17	1421	0.15
1343	0.17	1422	0.10
1344	0.07	1423	0.40
1356	0.43	1434/1	0.07
1345	0.06	1424	0.07
1354	0.11	1425	0.11
1355	0.12	1426	0.23
1357	0.35	1574	1.66
1283	1.12	1575	1.12
1346	0.18	1576	0.94
1350	0.24	1577	2.00
1380	0.10	1578	0.40
1385	0.01	1593	1.24
1386	0.03	1579	1.00
1387	0.05	1585	1.74
1381	0.25	1586	1.46
1384/2	0.35	1589	0.85

(1)	(2)	(1)	(2)
1590	0.90	264/1	0.25
1591	0.45	918	0.08
1594	0.22	920	0.06
1595	0.14	668	0.04
1596	0.24	670	0.04
139	0.21	671	0.04
1317	0.01	705	3.03
1174	0.03	704	0.03
1168	0.02	702	0.04
1176	0.03	699	0.04
1177	0.03	700	0.04
1180	0.03	783	0.04
1175	0.02	789	0.04
1179	0.03	792	0.04
1182	0.10	784	0.02
1181	0.03	785	0.03
1183	0.03	787/3	0.09
1184	0.03	657	0.04
1185	0.06	836	0.05
1236	0.02	837	0.04
1237	0.07	838	0.05
1239	0.06	839	0.05
1243	0.04	831	0.02
1245	0.02	832	0.06
1240	0.04	826	0.04
1244	0.03	823	0.04
1256	0.16	800	0.08
127	0.26	816	0.26
130/2	0.25	815	0.03
134	0.08	814	0.04
137	0.22	887	0.02
140	0.14	888	0.06
150	0.16	909	0.02
299	0.37	919	0.04
306	0.02	921	0.04
638	0.06	903	0.04
640	0.04	1002	0.09
644	0.16	1011	0.03
645	0.16	1003	0.12
650	0.04	1004	0.01
654	0.03	1023	0.05
655	0.03	1003/1451	0.10
646	0.15	1060	0.03
669	0.06	1038	0.04

(1)	(2)
1024	0.05
1025	0.11
1027	0.11
योग . .	47.51

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बड़ी बनहरी तालाब योजना के अन्तर्गत बॉध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 158-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—पन्ना

(ग) ग्राम—जमुनहाई कलां

(घ) लगभग क्षेत्रफल—19.59 हेक्टर. (निजी भूमि)

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)
(1)	(2)
165	0.05
166	0.40
168/2	0.20
170	0.66
171/1	0.62
172	0.87
191/2	0.10
173	2.42
174	1.44
188	0.95
189/5	0.90
189/1	0.45
189/2	0.05
189/3	0.85
189/4	0.80

(1)	(2)
183	0.90
186/1	0.60
182	1.14
191/1	0.30
186/2	0.40
187/1	0.41
187/2	0.41
200	0.50
203/1	1.00
219	0.20
220	0.05
189/1	0.05
190	0.19
191/2	0.12
195	0.05
240	0.16
250/2	0.16
251	0.20
263/1	0.05
263/2	0.17
249/1	0.05
265/1	0.05
266	0.12
270/1	0.08
203	0.08
218	0.02
206	0.50
282	0.02
281	0.01
383/1	0.02
284/1	0.28
284/2	0.24
292	0.08
293	0.10
295	0.12
योग . .	19.59

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—सकरिया तालाब योजना के अंतर्गत बांध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 163-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—पवई
(ग) ग्राम—हथकुरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.40 हेक्टर. (निजी भूमि)

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)
(1)	(2)
1102	0.20
1022	0.20
योग . .	0.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :—सिमरा तालाब परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 164-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—पवई
(ग) ग्राम—सिमराकलां
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.91 हेक्टर. (निजी भूमि)

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)
(1)	(2)
1107	0.10
1108	0.87
1123	0.17
1140/1	1.09
1117	0.18
1131/2	0.50
1131/3	0.50
1077	0.07
1076/1	0.03
359	0.06
1075	0.09
1074	0.18
1070	0.08
367	0.05
360	0.01
363/1	0.02
361/2	0.03
361/1	0.10
361/3	0.01
358	0.02
349	0.05
346/1	0.01
346/3	0.03
346/2	0.03
345	0.01
348	0.01
347	0.02
322/1	0.05
322/2	0.05
321	0.10
320	0.01
317	0.12
316	0.01
266	0.06
267	0.01
265	0.12
259	0.01
260	0.01
254	0.02
253	0.02
योग . .	4.91

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :—सिमरा तालाब परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 165-अ-82-वर्ष-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—देवेन्द्रनगर

(ग) ग्राम—रैगढ़

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.52 हेक्टेयर. (निजी भूमि)

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1121	0.30
1122	0.15
1126	0.22
1127/2	0.11
1128	0.45
1129	0.05
1130	0.06
1131	0.03
1133	0.30
1134	0.14
1135	0.28
1136	0.14
1137	0.76
1138	0.10
1139	0.06
1140	0.04
1141	0.22
1142	0.14
1143	0.10
1144	0.08
1145	0.13
1146	0.12
1147	0.15
1148	0.04
1149	0.05
1152	0.03
1153	0.08
1154/1	0.10
1154/2	0.06
1155	0.03
1156	0.31
1158	0.17
1159	0.01
1160	0.01
1161	0.22
1165	0.28
1166	0.08
1164	0.30
1167	0.03
1168	0.36
1169	0.01
1170	0.22
	योग : 6.52

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—भिलसांय तालाब परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 169-अ-82-वर्ष-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अमानगंज

(ग) ग्राम—बरौंहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.957 हेक्टेयर. (निजी भूमि)

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
393	0.204
395	0.272

(1)	(2)
396	0.086
426	0.138
429	0.019
390	0.232
88	0.006
योग :	0.957

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—मिढासन व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत बांध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 170-अ-82-वर्ष-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अमानगंज

(ग) ग्राम—बलगहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.921 हेक्टेयर. (निजी भूमि)

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
88	0.039
485	0.020
486	0.100
487	0.306
498	0.109
501	0.204
502	0.109
507	0.017
508/1 508/2	0.114
509/1 509/2	0.170
563	0.115
564/1 564/2	0.205
569/1 569/2 569/3	0.188
570	0.055
571	0.026
641	0.122
642	0.050
643	0.076
644	0.239
662	0.015
663	0.116
664/1 664/2	0.213
667	0.267
674	0.027
677/1 677/2	0.514
679/1 679/2	0.223
681	0.063
682	0.070
683	0.256
687	0.362
688	0.314
689	0.037
690/2 690/1	0.146
691	0.034
योग :	4.921

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—मिढासन व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत बांध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 171-अ-82-वर्ष-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अमानगंज

(ग) ग्राम—कचौरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.002 हेक्टेयर. (निजी भूमि)

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/1, 2/2, 2/3	0.110
50/1, 50/2, 50/3	0.423
55	0.187
56/1, 56/2	0.084
57	0.058
58	0.052
59	0.005
62/1, 62/2, 62/3, 62/4	0.083
योग :	1.002

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—मिढासन व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत बांध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 172-अ-82-वर्ष-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अमानगंज

(ग) ग्राम—बांधी कलां

(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.977 हेक्टेयर. (निजी भूमि)

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
311	0.420
313/1	0.034
317	0.002
318	0.090
319	0.052
320	0.020
322	0.118
323	0.060
325	0.004
324	0.001
427	0.028
429	0.159
434	0.190
435	0.040
438	0.025
441	0.002
442	0.051
443	0.073
444	0.022
446	0.056
447	0.072
449	0.039
456	0.007
475/1	0.108
573	0.111
576	0.022
606	0.132
608	0.105
609/1, 609/2	0.102

(1)	(2)
610/1	0.271
610/2	
611	0.125
612	0.024
735	0.045
736	0.225
741/2	0.000
741/3	0.000
745	0.511
1314	0.156
1325	0.089
1326	0.019
1327	0.168
1328	0.219
1329	0.050
1331	0.071
1332	0.044
1336	0.011
1534	0.093
1535	0.123
1537	0.015
1550	0.238
1551	0.015
1552	0.486
1621/1	0.017
1621/2	
1684/1	0.110
1684/2	
1685	0.045
1686	0.012
1687	0.004
1690	0.015
1696	0.017
1697	0.016
1698	0.224
1799	0.062
1800	0.011
1803	0.005
1904	0.018
1905	0.172
1910	0.084
1912	0.080
1913	0.037
1915	0.126
1917	0.023
1920	0.376
1966	0.020
1968	0.003
1969	0.093
1970	0.073
1972	0.048
1973	0.022
1974	0.250
1976	0.017
1977/1	0.139
1977/2	
2010	0.037
2011	0.146
2025	0.227
2026	0.016
2027	0.120
2037/577	0.129
2038/577	0.040
योग	: 7.977

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—डोभा जलाशय सिंचाई योजना के अंतर्गत बांध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 173-अ-82-वर्ष-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अमानगंज

(ग) ग्राम—बांधी कलां

(घ) लगभग क्षेत्रफल—69.438 हेक्टेयर. (निजी भूमि)

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
207	1.450
208	0.120
209	0.760
210	0.550
211	0.800
212	1.440
213	0.450
214	0.130
215	0.880
216	0.620
217	1.840
218	0.250
219	0.790
220	1.130
221	0.170
222	0.680
223	1.240
224	0.600
225	0.370
226	0.370
227	1.190
229	0.330
230	0.410
231	1.210
232	0.540
233	0.510
234	1.440
236	0.220
237	0.500
238	0.530
239	0.700
240/1	0.770
240/2	0.780
240/3	0.780
241/1	0.520
241/2	0.530
242	1.540
243	0.420
244	0.360
(1)	(2)
245	0.420
246	0.590
247	0.120
248	3.060
249	0.480
251/1	0.070
251/2	0.060
251/3	0.060
253	0.280
254/1	0.020
254/2	0.040
255	0.580
256/1	0.140
256/2	0.710
257/1	0.030
257/2	0.150
258	0.930
259	0.040
260	0.100
261	0.930
262	1.960
263	0.070
264	0.040
265	0.440
266	0.850
267	0.850
268	0.160
269	0.370
270	0.170
271	0.140
272	0.280
273	0.030
274	0.830
275	0.089
276	0.090
277	1.323
278	0.880
513	0.017
515/1	0.043
515/2	0.730
516	0.508
517	0.220
518	0.150
519	0.200

(1)	(2)
520	0.100
521	0.090
522	0.030
523	0.450
524	0.130
525	0.070
527	0.910
528	0.680
529/1	0.500
529/2	0.540
530	0.200
531	1.030
532	0.420
533	0.130
534	1.244
535	0.080
536	0.078
537/1	0.060
537/2	0.060
537/3	0.060
537/4	0.050
537/5	0.080
537/6	0.080
537/7	0.080
537/8	0.080
537/9	0.110
537/10	0.140
537/11	0.080
537/12	0.080
537/13	0.090
628	0.437
629	0.212
630	0.160
631	0.440
632	0.940
633	0.490
634	0.210
635	0.740
638	0.950
639	0.350
640	0.220
641	0.100
642	0.100
643	0.358
644	1.060
645	0.050
646	0.830
647	0.830
648/1	0.370
648/2क	0.740
648/2ख	0.740
649	1.110
650	0.730
651	1.100
654	0.110
655/1	0.079
655/2	0.130
657	0.099
658	0.572
679	0.279
योग :	69.438

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—डोभा जलाशय सिंचाई योजना के अंतर्गत बांध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 174-अ-82-वर्ष-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अमानगंज

(ग) ग्राम—बरबसपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.213 हेक्टेयर. (निजी भूमि)

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
634	0.078
635	0.194
638	0.085
640/1	0.053
640/2	0.079
642	0.045
643	0.043
645	0.111
646	0.107
647	0.040
807/1	0.007
807/2	0.007
808/1	0.072
808/2	0.072
810	0.187
813/1क	0.037
813/1ख	0.050
813/2	0.037
813/3	0.037
814	0.112
819	0.083
822	0.057
838/1	0.036
838/2	0.036
839	0.123
840	0.066
844	0.001
845	0.151
847	0.045
848	0.051
849	0.064
855	0.160
857	0.172
858	0.010
1532	0.283
1533	0.139
1538	0.017
1606	0.013
1607	0.199
1608	0.009
1661	0.017
1671/1	0.028
योग	: 3.213

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—डोभा जलाशय सिंचाई योजना के अंतर्गत बांध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 175-अ-82-वर्ष-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—गुनौर

(ग) ग्राम—कछगंवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—67.150 हेक्टेयर. (निजी भूमि)

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1	0.340
2/1	0.340
2/2	0.340
2/3	0.340
2/4	0.310
3	1.070
4/1	0.660
4/2	0.660
4/3	0.660
4/4	0.660
4/5	0.660
4/64/7	0.660
10	0.150

(1)	(2)
11	0.660
12/1	0.370
12/2	0.370
12/3	0.370
12/4	0.370
13	1.650
14	0.240
15	3.250
16/1	0.330
16/2	0.330
16/3	0.330
16/4	0.330
18	2.060
20	0.040
21	0.040
22	0.420
23	0.110
24	2.140
29	3.300
30	0.050
31	1.030
32	0.150
33	0.100
34	0.670
35	2.050
36	0.410
38	2.000
39	0.390
40	0.550
41/1	0.390
41/2	0.400
41/3	0.390
41/4	0.390
42	0.320
43	1.260
44	0.760
45	0.790
46	0.790
47	0.780
48	0.960
49	0.940
50	1.000
51	0.280
52	1.460
53	1.670
54	0.350
55	0.360
56	0.310
57	0.160
58	0.110
59	0.450
60	0.250
61	0.380
62	0.770
63	0.850
64/1	0.040
64/2	1.280
64/3	0.270
64/4	0.280
65/1	0.340
65/2	0.210
65/3	0.440
65/4	0.440
65/5	0.440
66	2.100
67	2.000
68	2.000
69	0.350
70	1.860
71	1.090
73	0.820
74/1	0.790
74/2	0.790
76	0.590
77	0.290
79	2.160
80	0.050
82	0.110
72/84/1	0.480
72/84/2	0.400
योग :	67.150

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—भितरी मुटमुरु जलाशय योजना के अंतर्गत बांध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 176-अ-82-वर्ष-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अमानगंज

(ग) ग्राम—ककरहाई

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.082 हेक्टेयर. (निजी भूमि)

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
21	0.069
22	0.060
23	0.059
24	0.177
27	0.081
28	0.262
45/1	0.018
45/2	0.027
45/3	0.019
46/1	0.167
46/2	0.145
46/3	0.102
50	0.027
51	0.059
62/1	0.050
62/2	0.196
70/1	0.032
70/2	0.220
71/1	0.147
71/2	0.210
89	0.133
90	0.074
91	0.060
93	0.081
95	0.008
335	0.040
336	0.161
337/818	0.070
338	0.013
339	0.091
340/1, 340/2, 340/3	0.003
341/1, 341/2, 341/3, 341/4	0.044
342	0.202
343	0.031
344	0.082
345/1, 345/2	0.020
353/1	0.273
353/2	0.164
354/1, 354/2	0.237
372/1, 372/2	0.030
373	0.099
381	0.039
	योग : 4.082

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—मिढासन व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत बांध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 178-अ-82-वर्ष-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अमानगंज

(ग) ग्राम—द्वारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.365 हेक्टेयर. (निजी भूमि)

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
19	0.029
21	0.122
22	0.500
23	1.490
25	1.170
26	1.752
27	0.260
28	0.042
योग :	5.365

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—जसवंतपुरा जलाशय योजना के अंतर्गत बांध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 179-अ-82-वर्ष-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अमानगंज

(ग) ग्राम—बिक्रमपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—41.463 हेक्टेयर. (निजी भूमि)

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
160	0.780
162	1.440
163	0.330
165	1.120
166	0.890
167	0.900
168	0.810
169	0.310
170	0.400
171	0.220
173	1.130
175	1.030
178	0.010
184	0.940
185	1.350
186	1.250
187	0.480
188	0.410
189	0.660
190/1	0.006
190/2	0.006
191/1	0.550
191/2	0.540
192/1	0.650
192/2	0.650
193	0.360
194	0.493
195	0.320
199	0.032
200	0.040
202/1 202/2	0.146
205	0.001
206	0.036
215	0.128
216	0.029
226	0.300
230/1	0.490
230/2	0.730
231	0.140
232	0.110
233	0.980
235	0.230
236	0.070
237	0.150
238	0.640
239	0.620
240	0.440
241	0.350
253	0.250
254	0.260

(1)	(2)
255	0.490
257	0.530
258	0.210
260	1.570
261	0.950
262	0.940
265/1	0.100
265/2	0.100
265/3	0.350
266	0.848
268	1.580
269	0.380
270	0.815
279	0.200
280/1	0.230
280/2	0.160
283	0.075
284	0.470
288	0.740
289	0.230
291	0.710
292	0.210
294	0.380
296	0.308
299	0.194
221	0.510
222	0.580
223	0.150
224	0.750
225	0.180
227	0.070
228	0.150
229	0.260
242	0.350
248	0.370
264	0.060
285	0.540
287	0.450
300	0.066
योग :	41.463

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—जसवंतपुर जलाशय योजना के अंतर्गत बांध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 180-अ-82-वर्ष-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अमानगंज

(ग) ग्राम—जसवंतपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—89.839 हेक्टेयर. (निजी भूमि)

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
711	1.360
712	1.300
713	1.500
715/1	0.600
715/2	0.610
716	0.300
717	1.700
718	3.610
719	0.560
720	1.050
721	0.820
722	1.820
723	0.600
724	1.450
725/1	1.230
725/2	0.190

(1)	(2)
726/1	0.600
726/2	0.600
726/3	0.600
728	1.500
729	1.300
730	1.000
733	1.460
735	0.470
739	1.550
740	0.800
742/1	1.300
742/2	0.400
743/1	0.950
743/2	0.600
745	2.000
746	3.350
747	1.950
748	0.800
749	0.880
750	1.500
751	1.250
752	1.400
754	1.800
755	0.500
756	2.000
757	2.000
758	1.400
759	2.000
761	2.000
762	0.210
764	0.510
765	0.220
766	0.610
767	1.295
768	0.330
770	0.368
771	1.020
772	0.260
773	0.250
774	0.313
775	0.535
776	0.797
777	0.820
779	0.610
782	0.300
783	1.300
784	0.699
785	0.930
788	0.850
807	0.680
808	2.000
809	2.850
811	1.000
812	1.690
813/2	0.400
814	0.865
817/1	2.668
817/2	0.500
818	1.660
819	0.451
839	1.396
840	2.000
843	0.472
848	1.500
847	0.820
योग :	89.839

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—जसवंतपुर जलाशय योजना के अंतर्गत बांध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 17 अक्टूबर 2011

क्र. 1534-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—बड़वाह
(ग) ग्राम—बामनपुरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.265 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
113	0.025
114	0.245
115	0.025
119/1	0.130
119/2	0.270
121/1	0.035
144	0.085
145/1	0.350
145/2	0.155
146	0.040
154/1	0.005
154/2	0.115
155/1	0.155
155/2	0.240
156/1	0.260
156/3	0.030
157/3	0.100
योग :	2.265

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के राईजिंग मेन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, ओंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1535 भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—बड़वाह
(ग) ग्राम—नांदिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.050 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
147	0.050
योग :	0.050

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के राईजिंग मेन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, ओंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1536 भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—बड़वाह
(ग) ग्राम—मालीपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.180 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
2	0.115
3/1	0.020
4	0.050
8/1	0.095

(1)	(2)
8/2	0.105
8/3	0.100
8/4	0.100
8/5	0.125
8/6	0.024
8/7	0.015
9	0.025
20/1	0.100
20/2	0.025
20/5	0.120
20/6	0.115
22/1	0.120
22/2	0.060
22/3	0.050
22/4	0.085
23/1	0.010
46/7	0.120
51/2	0.190
52/1	0.105
52/2	0.070
54/2	0.090
55	0.515
56/1	0.020
59	0.005
60	0.330
109/1	0.035
109/2	0.065
109/3	0.215
109/4	0.430
109/5	0.140
109/8	0.100
111/1	0.049
111/4	0.005
124/1	0.070
127/2	0.080
127/3	0.100
127/4	0.180
128	0.185
135	0.190
136	0.230
137/2	0.060
138/1	0.075
138/2	0.030
138/3	0.090
139/1	0.230
139/2	0.120
144	0.005
145	0.230
146	0.200
148	0.162
योग :	6.180

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के राईजिंग मेन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, ओंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1537 भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—बड़वाह
(ग) ग्राम—अगरवाड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.799 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
3/2	0.060
4	0.590
5	0.240
71	0.100
72/1	0.440
73/1	0.360
73/2	0.310

(1)	(2)
80/2	0.035
81/1	0.110
81/2	0.120
81/3	0.100
82/3	0.120
83/2	0.130
83/5	0.160
83/6	0.160
84	0.245
85/1	0.310
85/2	0.270
85/3	0.020
116	0.510
118/2	0.355
121	0.505
122/2	0.395
191	0.045
192/1	0.300
192/3	0.275
192/4	0.320
199/3	0.214
योग :	6.799

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के राईजिंग मेन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, ओंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1538 भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—बड़वाह

(ग) ग्राम—राजपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.225 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
2/1	0.030
2/10	0.165
2/2	0.020
2/4	0.235
7/4, 7/5	0.035
9/5	—
9/7	0.035
10	0.385
13	0.470
44/1	0.225
44/2	0.115
44/3	0.160
46/1	0.230
48/1	—
46/2	0.110
47	—
48/3	—
50/1	0.010
योग :	2.225

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के राईजिंग मेन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, ओंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1539 भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—बड़वाह

(ग) ग्राम—गाडरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.710 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
5/1	0.025
5/2	0.390
6/2	0.080
6/4	0.010
6/5	0.125
6/6	0.290
7	0.100
17/5	0.370
17/6	0.040
17/7	0.122
18/1	0.420
18/2	0.010
19	—
33/1	0.170
33/2	0.225
34/3	0.430
34/4	0.010
34/5	0.320
41/3	0.010
41/4	0.283
41/5	0.045
41/6	0.015
43	—
42	0.355
46	—
47	—
65/1	0.180
65/2	0.110
65/3	—
75/1	0.110
65/4	0.145
75/2	0.250
65/5	0.170
65/6	0.185
66	0.020
67/3	0.025
68/1	0.240
67/1	0.220
68/3	0.010
67/2	0.065
68/2	0.050
72/1	0.080
73/2	0.005
योग :	5.710

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ओंकारेश्वर उद्‌वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के राईजिंग मेन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, ओंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1540 भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—बड़वाह

(ग) ग्राम—बफलगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.160 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
154/2	0.040
155/2	0.995
158/1	0.660
158/2	0.100
237	0.295
238/1	0.150
238/2	0.195
245/3/1	0.200
245/3/2	0.350
245/4	0.120
246	0.940
247/4	0.115
योग :	4.160

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ओंकारेश्वर उद्‌वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के राईजिंग मेन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, ओंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1541 भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—बड़वाह
(ग) ग्राम—पिड़ायबुजुर्ग
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.180 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
25	0.025
27	0.040
28/1	0.240
28/2	0.170
28/3	0.240
30/1	0.180
30/2	0.170
30/3	0.055
45/2	0.090
45/3	0.170
45/4	0.070
46	0.355
48/1	0.050
48/2	0.220
48/3	0.200
49	0.620
50/1	0.020
51	0.095
202/1	0.150
202/2	0.300
202/3	0.340
202/4	0.380
योग :	4.180

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के राईजिंग मेन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, ओंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1542 भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—बड़वाह
(ग) ग्राम—सिरलाय
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.991 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
93/1	0.135
96/2	0.110
98/1	1.011
99/1	0.465
110/2	0.270
योग :	1.991

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के राईजिंग मेन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, ओंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.